

भाग 4
निरर्हताओं को हटाने संबंधी विधि
संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959

[4 अप्रैल, 1959]

यह घोषित करने के लिए कि सरकार के अधीन के कतिपय लाभ के
पद उनके धारकों को संसद् सदस्य चुने जाने या संसद्
सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित न करेंगे
अधिनियम

भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :---

1. संक्षिप्त नाम--यह अधिनियम संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कहा जा सकेगा ।

2. परिभाषाएं--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---

(क) “प्रतिकरात्मक भत्ता” से धन की वह राशि अभिप्रेत है जो किसी पद के धारक को, उस पद के कृत्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रातिपूर्ति करने के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते (जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा जिसके लिए कोई संसद् सदस्य, ¹[संसद् सदस्य वेतन, इस्त्रुत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) के अधीन हकदार है], किसी प्रवहण भत्ते, गृह भाटक भत्ता या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय है ;

(ख) “कानूनी निकाय” से किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का अन्य निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित हो या न हो ;

(ग) “अकानूनी निकाय” से ऐसे व्यक्तियों का कोई ऐसा निकाय अभिप्रेत है जो कानूनी निकाय से भिन्न हो ।

3. कतिपय लाभ के पद पर निरर्हित न करेंगे--एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद, उसके धारक को संसद् सदस्य चुने जाने या संसद् सदस्य होने या रहने के लिए वहां तक निरर्हित न करेगा जहां तक कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद है, अर्थात् :---

(क) संघ के या किसी राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री द्वारा, चाहे पदेन या नाम से, धृत कोई पद ;

²[(कक) संसद् में विपक्षी नेता का पद ;]

³[(कख) योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद ;]

⁴[(कग) संसद् के किसी सदन में किसी मान्यताप्राप्त दल और किसी मान्यताप्राप्त समूह के ⁵[प्रत्येक नेता और प्रत्येक उपनेता] का पद ;]

⁶[(कघ) भारत सरकार द्वारा, मंत्रिमंडल सचिवालय में आदेश सं० 631/2/1/2004-मंत्रिमंडल, तारीख 31 मई, 2004 द्वारा गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष का पद ;]

(ख) संसद् में मुख्य सचेतक, उपमुख्य सचेतक या सचेतक का पद या संसदीय सचिव का पद ;

⁷[(खक) निम्नलिखित के अध्यक्ष का पद--]

(i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ;

(ii) संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ;

(iii) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग ;]

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31), टैरीटोरियल आर्मी ऐक्ट, 1948 (1948 का 56) या रिजर्व एण्ड आग्लिजरी एयर फोर्स ऐक्ट, 1952 (1952 का 62) के अधीन समुत्थापित या बनाए रखे गए किसी बल के सदस्य का पद ;

(घ) किसी राज्य में किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन गठित होमगार्ड के सदस्य का पद ;

(ङ) मुम्बई, कलकत्ता या मद्रास के नगर में शेरिफ का पद ;

¹ 1993 के अधिनियम सं० 54 की धारा 2 द्वारा (27-8-1993 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1977 के अधिनियम सं० 33 की धारा 12 द्वारा (1-11-1977 से) अन्तःस्थापित ।

³ 1993 के अधिनियम सं० 54 की धारा 3 द्वारा (19-7-1993 से) अन्तःस्थापित ।

⁴ 1999 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित ।

⁵ 2000 के अधिनियम सं० 18 की धारा 5 द्वारा (7-6-2000 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ 2006 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा (18-8-2006 से) अन्तःस्थापित ।

⁷ 1993 के अधिनियम सं० 54 की धारा 3 द्वारा (27-8-1993 से) अन्तःस्थापित ।

(च) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संसक्त किसी अन्य निकाय की सिंडीकेट, सिनेट, कार्यपालिका समिति, परिषद या कोर्ट के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(छ) सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत के बाहर भेजे गए किसी प्रत्यायोग या मिशन के सदस्य का पद ;

(ज) लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी मामले की जांच करने या उसके बारे में सांख्यिकियां संगृहीत करने के प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई (चाहे एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी) समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है ;

¹[(झ)] किसी ऐसे निकाय से, जो खंड (ज) में निर्दिष्ट है, भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है, किन्तु इसमें (i) अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष का पद, और (ii) अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या सचिव का पद, सम्मिलित नहीं है;]

(ञ) चाहे लंबरदार, मालगुजार, पटेल, देशमुख या किसी अन्य नाम से कहे जाने वाला ऐसे ग्राम राजस्व आफिसर का पद जिसका कर्तव्य भू-राजस्व संगृहीत करना है और जिसको पारिश्रमिक उसके द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलता है, किन्तु जो किन्हीं पुलिस कृत्यों का निर्वहन नहीं करता ।

²[(ट) सारणी में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सदस्य का पद (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) ;

(ठ) किसी न्यास के, चाहे वह लोक न्यास हो या प्राइवेट, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई निकाय नहीं है, अध्यक्ष या न्यासी का पद (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) ;

(ड) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के शासी निकाय के, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट निकाय नहीं है, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रधान सचिव या सचिव का पद ;

³[स्पष्टीकरण 1]—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ⁴[अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव] के पद के अन्तर्गत उस प्रकार का हर पद आएगा चाहे वह किसी भी नाम से कहा जाए ।

⁵[स्पष्टीकरण 2]—खंड (कक) में “नेता” पद का वही अर्थ होगा जो उसका संसद् में विपक्षी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33) में है]

⁶[स्पष्टीकरण 3]— खंड (कग) में, “मान्यताप्राप्त दल” और “मान्यताप्राप्त समूह” पद के वही अर्थ हैं जो संसद् में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 में हैं]

4. कतिपय दशाओं में निरर्हता का अस्थायी निलम्बन—यदि संसद् सदस्य होते हुए कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व ऐसा लाभ का पद धारण करता था जिसे इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी विधि द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिए उसके धारक को निरर्हित न करने वाला घोषित किया गया था, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी के कारण ऐसे निरर्हित हो जाता है तो ऐसा पद उसको संसद् सदस्य रहने के लिए निरर्हित न करेगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से छह मास की कालावधि से आगे विस्तृत न होने वाली किसी कालावधि के लिए धृत है ।

5. निरसन—पार्लियामेंट (प्रिवेंशन आफ डिसक्वालिफिकेशन) ऐक्ट, 1950 (1950 का 19), पार्लियामेंट प्रिवेंशन आफ डिसक्वालिफिकेशन ऐक्ट, 1951 (1951 का 68), प्रिवेंशन आफ डिसक्वालिफिकेशन ऐक्ट, 1953 (1954 का 1) और किसी अन्य अधिनियमिति में का कोई उपबन्ध, जो इस अधिनियम से असंगत है, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

¹ 1993 के अधिनियम सं० 54 की धारा 3 द्वारा खंड (झ) के स्थान पर (19-7-1993 से) प्रतिस्थापित ।

² 2006 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा (4-4-1959 से) अंतःस्थापित ।

³ 1977 के अधिनियम सं० 33 की धारा 12 द्वारा (1-11-1977 से) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया गया ।

⁴ 1993 के अधिनियम सं० 54 की धारा 3 द्वारा (27-8-1993 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ 1977 के अधिनियम सं० 33 की धारा 12 द्वारा (1-11-1977 से) अंतःस्थापित ।

⁶ 1999 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

अनुसूची
[धारा 3(झ) देखिए]

भाग 1

केन्द्रीय सरकार के अधीन निकाय

- वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 3 के अधीन स्थापित एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन ।
वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 30 के अधीन गठित एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल ।
एक्सपोर्ट रिस्क्स इश्योरेंस कारपोरेशन ¹*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
हैवी इलैक्ट्रीकल्स ¹*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
हिंदुस्तान केबल्स ¹*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड्स ¹*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
हिंदुस्तान मशीन टूल्स ¹***लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
²[हिंदुस्तान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड] का निदेशक बोर्ड ।
नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
नेशनल ³[इंडस्ट्रीयल] डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स ¹*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ¹*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
सिन्धी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ¹*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ¹*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, 1956 (1956 का 28) की धारा 17 के अधीन स्थापित सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ।
कोल माइंस (कंजरवेशन एंड सेफ्टी) ऐक्ट, 1952 (1952 का 12) की धारा 4 के अधीन स्थापित कोल बोर्ड ।
कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 6 के अधीन गठित कोल माइंस लेबर हाउसिंग बोर्ड ।
कलकत्ता के पत्तन के कमिश्नर ।
गांधीधाम नगर में भूमि के आबंटन के लिए समिति ।
कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 410 के अधीन गठित कंपनी ला एडवाइजरी कमीशन ।
टेक्सटाइल फंड्स आर्डिनैस, 1944 (1944 का 34) के अधीन गठित काटन टेक्सटाइल फंड कमेटी ।
डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई बाम्बे डॉक वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्प्लायमेंट) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डाक लेबर बोर्ड, बाम्बे ।
डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई कलकत्ता डॉक वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्प्लायमेंट) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डॉक लेबर बोर्ड, कलकत्ता ।
डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई मद्रास डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डॉक लेबर बोर्ड, मद्रास ।
फारवर्ड कॉन्ट्रेक्ट्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 के अधीन स्थापित फारवर्ड मार्केट्स कमीशन ।
वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 3 के अधीन स्थापित इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन ।
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया ।

¹ 1960 के अधिनियम सं० 58 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा “(प्राइवेट)” शब्द और कोष्ठकों को लोप किया गया ।

² 1960 के अधिनियम सं० 58 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा “नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1960 का अधिनियम सं० 58 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित ।

इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) के अधीन बनाए गए रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग आफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स रूल्स, 1952 के नियम 10 के अधीन गठित लाइसेंसिंग कमेटी ।

खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 12 के अधीन गठित माइनिंग बोर्ड ।

एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, 1956 (1956 का 28) की धारा 3 के अधीन स्थापित नेशनल को-ओपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग बोर्ड ।

रिहेबिलिटेशन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1948 (1948 का 12) की धारा 3 के अधीन गठित रिहेबिलिटेशन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ।

टैरिफ कमीशन ऐक्ट, 1951 (1951 का 50) की धारा 3 के अधीन स्थापित टैरिफ कमीशन ।

बाम्बे के पत्तन के ट्रस्टीज ।

मद्रास के पत्तन के ट्रस्टीज ।

कलकत्ता, मुम्बई या मद्रास पत्तन से भिन्न, इंडियन पोर्टस् 1908 (1908 का 15) में यथापरिभाषित किसी महापत्तन के ट्रस्टीज या कमिश्नर ।

राज्य सरकारों के अधीन निकाय

आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद एग्रिकल्चरल इंप्रूवमेंट ऐक्ट, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित एग्रिकल्चरल इंप्रूवमेंट फंड कमेटी ।

को-आपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी ।

लाइव स्टॉक परचेजिंग कमेटी ।

आसाम

आसाम अधियार्स प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऐक्ट, 1948 की धारा 2क के अधीन गठित अधिकाउंसिलियेशन बोर्ड्स ।

आसाम इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, 1951 की धारा 12 के अधीन गठित आसाम इवैकुई प्रापर्टी मैनेजमेंट कमेटी ।

आसाम टेक्स्ट बुक कमेटी ।

बिहार

माइनिंग बोर्ड फार कोल माइंस ।

टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशनल लिट्रेचर कमेटी ।

मुम्बई

एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अधीन एलोकेशन कमेटी (एलोपैथिक) ।

एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अधीन एलोकेशन कमेटी (आयुर्वेदिक) ।

नरसिंगगिरिजी मिल्स, शोलापुर के कारबार और कामकाज के सर्वोपरि पर्यवेक्षण के संचालन के लिए बोर्ड ।

बाम्बे हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित बाम्बे हाउसिंग बोर्ड ।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित बाम्बे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित बाम्बे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंसल्टेटिव काउंसिल ।

एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अधीन मेडिकल सर्विस कमेटी ।

एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अधीन फार्मस्यूटिकल कमेटी ।

* मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित अहमदाबाद, औरंगाबाद, मुम्बई, नागपुर, पुणे, राजकोट और थाणा के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।

सौराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1954 की धारा 3 के अधीन गठित सौराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ।

* मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।

मध्य प्रदेश हाउसिंग ऐक्ट, 1950 की धारा 3 के अधीन गठित विदर्भ हाउसिंग बोर्ड ।

* अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के सुसंगत उपबंध देखिए ।

केरल

द्रावनकोर-कोचीन बायलर अटेंडेंट्स रूल्स, 1954 के नियम 8 के अधीन नियुक्त बोर्ड आफ एग्जामिनर्स ।
द्रावनकोर-कोचीन बायलर अटेंडेंट्स रूल्स, 1954 के नियम 63 के अधीन गठित पेनल आफ असेसर्स ।
द्रावनकोर-कोचीन इकोनोगाइजर रूल्स, 1956 के अधीन गठित पेनल आफ असेसर्स ।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1950 की धारा 3 के अधीन गठित मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ।
महाकौशल हाउसिंग बोर्ड ।

¹[तमिलनाडु]

एस0एस0एल0सी0 परीक्षा के लिए अध्ययन के लिए पुस्तक चयन करने वाली कमेटी ।
छोटे पत्तनों के लिए लैंडिंग एंड शिपिंग फीस कमेटीज ।
एम्प्लाइज स्टेट इन्शोरेंस (जनरल) रेगुलेशन्स, 1950 के विनियम 10क के अधीन गठित लोकल कमेटी ।
मद्रास बोर्ड आफ ट्रांसपोर्ट ।
इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित ²[तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड] ।
इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कन्सलटेटिव काउंसिल ।
पोर्ट कंजरवंसी बोर्ड्स ।
छोटे पत्तनों के पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड्स ।
स्टेट बोर्ड आफ कम्युनिकेशन्स ।
टेक्स्ट बुक्स कमेटी ।

³[कर्नाटक]

बोर्ड आफ मैनेजमेंट, मैसूर आइरन एंड स्टील वर्क्स भद्रावती ।
बोर्ड आफ मैनेजमेंट आफ इंडस्ट्रियल कन्सर्न्स ।

उड़ीसा

बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन के अधीन अपील कमेटी ।
उड़ीसा बोर्ड आफ कम्युनिकेशन्स एंड ट्रांसपोर्ट ।
*मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।
*मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।

पंजाब

पंजाब स्टेट नेशनल वर्कर्स (रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन) बोर्ड ।

राजस्थान

सिटी आफ कोटा इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1946 के अधीन गठित सिटी एम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, कोटा ।
एक्साइज अपीलेट बोर्ड, अजमेर ।
इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ।
अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर ।

उत्तर प्रदेश

गवर्नमेंट सीमेंट फेक्ट्री बोर्ड ।
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अधीन नियुक्त आगरा, कानपुर, लखनऊ और सहारनपुर के लिए स्थानीय समितियां ।
शिक्षा विस्तार विभाग के लिए पुस्तक चयन करने वाली उपसमिति ।
यू0पी0 शूगर एंड पावर अल्कोहल इंडस्ट्रीज लेबर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड ऐक्ट, 1950 की धारा 10 के अधीन गठित यू0पी0 शूगर एंड पावर अल्कोहल एंड लेबर हाउसिंग बोर्ड ।

¹ मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा (14-1-1969 से) “मद्रास” शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा (14-1-1969 से) “मद्रास स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा (1-11-1973 से) “मैसूर” शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के सुसंगत उपबंध देखिए ।

पश्चिमी बंगाल

इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम 45 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन गठित लाइसेंसिंग बोर्ड ।

वेस्ट बंगाल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऐक्ट, 1954 के अधीन गठित वेस्ट बंगाल हाउसिंग बोर्ड ।

संघ राज्यक्षेत्रों में के निकाय

दिल्ली डेवलपमेंट ऐक्ट, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी ।

दिल्ली को यथा लागू बाम्बे इलेक्ट्रिसिटी (स्पेशल पावर्स) ऐक्ट, 1946 की धारा 5 के अधीन गठित दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी पावर कंट्रोल बोर्ड ।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल।

भाग 2

केन्द्रीय सरकार के अधीन निकाय

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 41 के अधीन नियुक्त एयर इण्डिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के लिए एडवाइजरी कमेटी ।

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 41 के अधीन नियुक्त इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए एडवाइजरी कमेटी ।

सेंट्रल सिल्क बोर्ड ऐक्ट, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 के अधीन गठित सेंट्रल सिल्क बोर्ड ।

काफी ऐक्ट, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के अधीन गठित काफी बोर्ड ।

क्वायर इंडस्ट्री ऐक्ट, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 के अधीन गठित क्वायर बोर्ड ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार एसिड्स एंड फर्टिलाइजर्स ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार अल्कलीज एंड अलाईड इंडस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार बाइसिकिल्स ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार ड्रग्स, डाइस एंड इंडरमिडिएट्स ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार इन्टरनल कम्बश्चन एंजिन्स एंड पावर ड्रिवन पम्प्स ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार लाइट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार मशीन टूल्स ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार नान-फेरस मेटल्स इन्क्लूडिंग एलाइज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार आयल-बेस्ड एण्ड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार शूगर इंडस्ट्री ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार टैक्सटाइल्स मेड आफ आर्टिफिशियल सिल्क इन्क्लूडिंग आर्टिफिशियल सिल्क यार्न ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार टेक्सटाइल्स मेड आफ वूल इन्क्लूडिंग वूलन यार्न, होजरी, कार्पेट्स एंड ड्रगट्स ।

दरगाह खाजा साहिब ऐक्ट, 1955 (1955 का 36) की धारा 4 के अधीन गठित दरगाह कमेटी, अजमेर ।

इंडियन सेंट्रल अरिकानट कमेटी ।

इंडियन कोकोनट कमेटी ऐक्ट, 1944 (1944 का 10) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी ।

इंडियन काटन सेल्स ऐक्ट, 1923 (1923 का 14) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन सेंट्रल काटन कमेटी ।

इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी ।

इंडियन आयल सीड्स कमेटी ऐक्ट, 1946 (1946 का 9) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन सेंट्रल आयल सीड्स कमेटी ।

इंडियन सेंट्रल शूगरकेन कमेटी ।

इंडियन सेंट्रल टोबेको कमेटी ।

इंडियन लेक सेस ऐक्ट, 1930 (1930 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन लेक सेस कमेटी ।

रबर ऐक्ट, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित रबर बोर्ड ।

टी ऐक्ट, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के अधीन गठित टी बोर्ड ।

राज्य सरकारों के अधीन निकाय

आन्ध्र प्रदेश

1339 एफ0 के हैदराबाद एग्रिकल्चरल मार्केट ऐक्ट नं0 2 की धारा 4 के अधीन गठित मार्केट कमेटी ।

मद्रास कमर्शियल क्राप्स मार्केट्स ऐक्ट, 1933 की धारा 4क के अधीन गठित मार्केट कमेटी ।

बिहार

बिहार स्टेट बोर्ड आफ रिलिजिस ट्रस्ट्स ।

बिहार सुबाई मजलिस ओकाफ ।

बौद्ध गया टेम्पल ऐक्ट, 1949 की धारा 15 के अधीन गठित बौद्ध गया टेम्पल एडवाइजरी कमेटी ।

बौद्ध गया टेम्पल ऐक्ट, 1949 की धारा 3 के अधीन गठित बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ।

केरल

क्वायर परचेज स्कीम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ।

मद्रास कमर्शियल क्राप्स मार्केट्स ऐक्ट, 1933 के धारा 4क के अधीन गठित मालाबार मार्केट कमेटी ।

टपीओका मार्केट एक्सपेंशन बोर्ड ।

¹[तमिलनाडु]

मद्रास हिन्दू रिलिजस एंड चैरिटेबिल एंडाउमेण्ट्स ऐक्ट, 1951 की धारा 12 के अधीन गठित हिन्दू रिलिजस एंड चैरिटेबल एंडाउमेण्ट्स के लिए एरिया कमेटी ।

वक्फ ऐक्ट, 1954 की धारा 9 के अधीन गठित मद्रास स्टेट वक्फ बोर्ड ।

पंजाब

पटियाला एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स ऐक्ट, 2004 की धारा 3 के अधीन गठित स्टेट मार्केटिंग बोर्ड ।

2* * * * *

³[सारणी

[धारा 3(ट) देखिए]

क्रम सं0	निकाय का नाम
1.	त्रिपुरा खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, त्रिपुरा खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज ऐक्ट, 1966 के अधीन गठित निकाय ।
2.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट काउन्सिल ।
3.	इरिगेशन एण्ड फ्लड कंट्रोल कमीशन, उत्तर प्रदेश ।

¹ मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा (14-1-1969 से) “मद्रास” शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1993 के अधिनियम सं0 54 की धारा 4 द्वारा (19-7-1993 से) भाग 3 का लोप किया गया ।

³ 2006 के अधिनियम सं0 31 की धारा 3 द्वारा (4-4-1959 से) अंतःस्थापित ।

1	2
4.	इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता ।
5.	वेस्ट बंगाल हेंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
6.	वेस्ट बंगाल स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
7.	वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
8.	श्रीनिकेतन शांतिनिकेतन डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय ।
9.	हल्दिया डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय ।
10.	वेस्ट बंगाल माइनोरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन, वेस्ट बंगाल माइनोरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन ऐक्ट, 1995 के अधीन गठित निकाय ।
11.	हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर्स, हुगली रिवर ब्रिज ऐक्ट, 1969 (1969 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 36) के अधीन गठित ।
12.	पश्चिमी बंगाल वक्फ बोर्ड, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) के अधीन गठित निकाय ।
13.	स्टेट फिशरीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, वेस्ट बंगाल ।
14.	पश्चिमी बंगाल राज्य हज समिति, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) के अधीन गठित ।
15.	आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय ।
16.	वेस्ट बंगाल फार्मास्यूटिकल एण्ड फिटोकैमिकल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
17.	वेस्ट बंगाल हेंडलूम एण्ड पावरलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
18.	वेस्ट बंगाल खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ।
19.	सोसाइटी फार सेल्फ-इंफ्लाइमेंट फार अरबन यूथ, वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1961 (1961 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 26) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ।
20.	तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम् बोर्ड ।
21.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) के अधीन गठित प्राधिकरण ।
22.	नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) ।
23.	इण्डियन फार्मर फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लिमिटेड (इफको) ।
24.	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड (कृभको) ।
25.	नेशनल को-आपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) ।
26.	आरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 (1988 का 54) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित आरोविल प्रतिष्ठान ।
27.	नेशनल कमीशन आफ इन्टरप्राइजेज इन अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर ।
28.	एशियाटिक सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 5) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित योजना बोर्ड (एशियाटिक सोसाइटी) ।
29.	दिल्ली रुरल डेवलपमेंट बोर्ड ।
30.	मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन ।
31.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ।
32.	डा. अंबेडकर फाउंडेशन ।
33.	बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट, बिहार हिन्दू रिलीजियस ट्रस्ट ऐक्ट, 1950 (1951 का बिहार अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन गठित निकाय ।

1	2
34.	रिसर्च एण्ड इनफॉर्मेशन सिस्टम फॉर नॉन-अलाइड एण्ड अदर डेवलपिंग कंटीज ।
35.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री ।
36.	उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ।
37.	उत्तर प्रदेश प्रोविशियल को-आपरेटिव फेडरेशन ।
38.	उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ।
39.	नेशनल को-आपरेटिव यूनियन आफ इंडिया ।
40.	उत्तर प्रदेश कृषि और ग्राम विकास बैंक ।
41.	उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
42.	इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स ।
43.	बोर्ड आफ कन्ट्रोल --ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट आफ सौशल स्टडीज, पटना ।
44.	ऑल इंडिया काउंसिल फार स्पोर्ट्स ।
45.	हावड़ा इन्सूवमेंट ट्रस्ट ।
46.	दलित सेना, 12, जनपथ, नई दिल्ली ।
47.	सौशल जस्टिस ट्रस्ट, 12 जनपथ, नई दिल्ली ।
48.	बहुजन फाउंडेशन (चेरिटेबल ट्रस्ट), लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
49.	बहुजन प्रेरणा चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली ।
50.	केन्द्रीय वक्फ परिषद्, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 9 के अधीन स्थापित ।
51.	नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी (एन एम एम एल)।
52.	जलियांवाला बाग स्मारक न्यास ।
53.	भारत की हज समिति, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 3 के अधीन गठित ।
54.	मल्लिकघाट फूलबाजार परिचालन कमेटी ।
55.	वेस्ट बंगाल फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड ।]